न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः– 03/2020 दायरा दिनांक 05.03.2020

पीठासीन अधिकारी :– श्री राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

उनवान

1. मुरारी पुत्र कोमल प्रसाद जाति किराड निवासी किराड पहाडी तहसील शाहबाद जिला, बारां
2. श्रीकिशन पुत्र कोमल प्रसाद जाति किराड निवासी किराड पहाडी तहसील शाहबाद जिला, बारां।
3. गुलाबीबाई पुत्री कोमल प्रसाद जाति किराड निवासी किराड पहाडी तहसील शाहबाद जिला, बारां।
4. कसूमल बाई पुत्री कोमल प्रसाद जाति किराड निवासी किराड पहाडी तहसील शाहबाद जिला, बारां।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र हरचन्दी जाति किराड निवासी निवाडी तहसील शाहबाद जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद जिला बारां – राजस्थान **– रेस्पोडेण्ट**

उपस्थित :–

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल, अजय अग्रवाल अभिभाषक अपीलान्ट।
श्री अरविन्द शर्मा, कुमेरसिंह यादव, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट।

निर्णय दिनांक 24-03-2022

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व संहिता विरूद्ध निर्णय तहसीलदार शाहबाद दिनांक 30.01.2020

प्रकरण संख्या 8.19 कार्यवाही धारा 135(2)एल.आर.एक्ट.

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध धारा 135(2) ग्राम निवाडी को निरस्त करने बाबत् प्रस्तुत की है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये रेस्पोडेन्ट से रिकार्ड प्रस्तुत करने की तलबी की गई।

ग्राम निवाडी तह. शाहबाद जिला बारां राज. में अपीलान्टस की मां कुंगरबाई पुत्री छुटटा पत्नी कोमलप्रसाद जाति किराड निवासी किराड पहाडी तहसील शाहबाद के खाते एवं कब्जे की आराजी खसरा नम्बर 204 रकबा 5.01 बीघा, ख. न. 207/609 रकबा 6.12 बीघा कल किता 2 कुल रकबा 11.13 बीघा स्थित रही है अपीलान्ट्स की मां कुंगरबाई की दिनांक 13/6/19 को देहान्त हो जाने के कारण अपीलान्टस ने दिनांक 4/7/19 को नायव तहसीलदार केलवाड़ा के यहां मृतक खातेदार कुगंरबाई के वारिसान के नाम फोती नामान्तरकरण दर्ज करने का निवदेन किया जिस पर पटवारी हल्का बैंटा से मृतक के वारिसान की रिपोर्ट मांगी गई जिनके द्वारा दिनांक 9/7/2019 को वारिसान की जांच कर अपनी रिपोर्ट तहसील कार्यालय में प्रस्तुत कर दी गई लेकिन सम्मानीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण की आगे कोई कार्यवाही नही की।

यह कि रेस्पोन्डेट कम 1 ने दिनांक 21/10/19 को एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार शाहबाद को प्रस्तुत किया कि मृतका कुगंरबाई ने दिनांक 12/4/19 को एक अपंजीकृत वसीयत उसके पक्ष में की है जिसे उसने कुगंरबाई की मृत्यु उपरान्त उपपंजीयक केलवाड़ा के समक्ष रजिस्टार्ड करा लिया है उसके आधार पर कुंगरबाई की उक्त आराजियात उसके नाम दर्ज की जावे और सम्मानीय अधिनस्थ न्यायालय ने इस फर्जी वसीयत को आधार बनाकर रेस्पो. कम 1 के पक्ष में अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिससे व्यथित होकर अपीलान्टस यह अपील प्रस्तुत कर रहे हैं।

यह कि अपीलान्टस की मां कुंगरबाई अपनी मृत्यु दिनांक के एक साल पूर्व से बीमार थी व चलने फिरने में असमर्थ थी जिन्होंने रेस्पोन्डेट कम 1 के पक्ष में कभी कोई वसीयत नही की रेस्पो. कम 1 द्वारा सम्मानीय अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वसीयत फर्जी होकर कूट रचित है। रेस्पों. कम 1 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:31:42 IST
Reason: SelfAttested

किसी तरह के कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। वैसे भी मृतक कंगूरबाई व रेस्पोडेण्ट कम 1 व उसके भाई कल्याण के मध्य उक्त आराजियात को लेकर दिनांक 15/10/2020 तक मुकदमेवाजी राजस्व मंडल अजमेर में जेरकर थी। इस कारण कुंगरबाई द्वारा रेस्पो. कम 1 के पक्ष में वसीयत करने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। इस तरह सम्मानीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध होकर न्याय के स्वीकृत सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

यह कि विवादित आराजी कुगंरबाई की स्वअर्जित आराजी न होकर पैत्रिक आराजी थी जो कुंगरबाई को उनके पिता से विरासत में प्राप्त हुई जिसकी वसीयत विधि द्वारा वर्जित होने से स्वीकार योग्य नही थी इस विधिक बिन्दू पर सम्मानीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व कोई ध्यान नही दिया है इस कारण न्याय की हानि हुई है।

यह है कि वसीयत ग्रहिता को सक्षम न्यायालय से लेटर ऑफ प्रोबेट प्राप्त करना चाहिए था इसके बिना राजस्थान राज्य में वसीयत के आधार पर रेस्पोडेण्ट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त उनवानी अपील अपीलाण्ट्स द्वारा तहसीलदार शाहबाद के आदेश दिनांक 31.01.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की है जिसमें तहसीलदार द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के अन्तर्गत अपीलान्ट्स व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को विधिवत साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये विधिवत आदेश पारित किया गया है। उक्त तहसीलदार शाहबाद के अपीलाधीन आदेश 30.01.2020 जो कि तहसीलदार द्वारा राजस्थान अधिनियम की धारा 135(2) में परित की है जिसकी अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75(1)(एफ) के अन्तर्गत माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर होने एवं माननीय न्यायालय द्वारा संधारण योग्य नहीं होने से काबिल निरस्तनीय है। माननीय न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील संधारण योग्य नहीं है जिसके सम्बन्ध में निम्न न्यायिक नजीर प्रस्तुत है 2016 आर.आर.टी. (1) पेज 726, 2004 आर.आर.टी. (1) पेज 380 एवं 1997 आर.बी.जे. पेज 198 पेश की है। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुये कहा कि अपीलान्टस की मां कुगंरबाई अपनी मृत्यु की दिनांक के एक साल पूर्व से बीमार थी व चलने फिरने में असमर्थ थी जिन्होंने रेस्पोन्डेन्ट कम 1 के पक्ष में कभी कोई वसीयत नही की रेस्पो. कम 1 द्वारा सम्मानीय अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वसीयत फर्जी होकर कूट रचित है जिससे रेस्पों. कम 1 को किसी तरह के कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। वैसे भी मृतक कंगूरबाई व रेस्पोडेण्ट कम 1 व उसके भाई कल्याण के मध्य उक्त आराजियात को लेकर दिनांक 15/10/2020 तक मुकदमेवाजी राजस्व मंडल अजमेर में जेरकर थी। इस कारण कुंगरबाई द्वारा रेस्पो. कम 1 के पक्ष में वसीयत करने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्यन्त अवलोकन किया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अपील में अंकित तथ्यों को बहस माना जावें। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने कहा कि अपील अपीलाण्ट्स द्वारा तहसीलदार शाहबाद के आदेश दिनांक 31.01.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की है जिसमें तहसीलदार द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के अन्तर्गत अपीलान्ट्स व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को विधिवत साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये विधिवत आदेश पारित किया गया है। उक्त तहसीलदार शाहबाद के अपीलाधीन आदेश 30.01.2020 जो कि तहसीलदार द्वारा राजस्थान अधिनियम की धारा 135(2) में परित की है जिसकी अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75(1)(एफ) के अन्तर्गत माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर होने एवं माननीय न्यायालय द्वारा संधारण योग्य नहीं होने से काबिल निरस्तनीय है।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार में नहीं होने से खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.01.2020 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:31:42 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)